Dainik Bhaskar, Delhi, 21/06/2026
Page No: 16, Size: 18.39cm × 19.39cm

आदेश • सीएम की पहल, बोले- निष्पक्ष-पारदर्शी जांच होगी

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच

अपने ही नेताओं के सवालों से घिरी सम्राट सरकार

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। सरकार ने उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच का उद्देश्य घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी पड़ताल करना है। दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

भरत का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। फिर भी पुलिस ने एनकाउंटर किया। घटना के बाद विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को दोपहर 1 बजे पूर्व विधायक राजन तिवारी भरत के घर पहुंचे। बोले दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोपहर 2:30 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे। कहा-48 घंटे में दोषियों को गिरफ्तार करें। दोपहर 4:00 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पहुंचे। कहा- हर संभव सहयोग करूंगा। दोपहर 4:30 बजे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे। पीड़ित परिवार को 50000 की मदद की।

मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा मामला

मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोषियों पर कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।

फ्लैशबैक... राज्य में पहले भी हुए हैं फेक एनकाउंटर

गया बाराचट्टी हत्याकांड

घटना और मृतक: 5 दिसंबर 1993 को व्यवसायी राजेश धवन और उनके 2 कर्मचारियों की हत्या।

पुलिस का दावा: अपराधियों द्वारा गोलियां चलाने पर आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग।

सच्चाई: पुलिस ने जबरन वसूली के लिए गोली मारी।

नतीजा: निचली कोर्ट ने 1996 में 6 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। 1998 में सुप्रीम कोर्ट दो की सजा उम्रकैद में बदली।

पटना छात्र एनकाउंटर

घटना और मृतक: 28 दिसंबर 2002 को 3 निर्दोष कॉलेज छात्रों (विकास, प्रशांत, हिमांशु) की हत्या।

पुलिस का दावा: तीनों कुख्यात 'अशोक नटवा' डकैत गिरोह के सदस्य थे।

सच्चाई: एसएचओ शमशेर ने पदक के लिए गोली मारी।

नतीजा: 2014 में विशेष अदालत ने एसएचओ को फांसी दी। 2015 में हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया।

बेगूसराय दयानंद एनकाउंटर

घटना और मृतक: 31 दिसंबर 2025 को नोनपुर गांव में वांछित माओवादी दयानंद मलाकार की मौत।

पुलिस का दावा: एसटीएफ और जिला पुलिस पर फायरिंग के बाद मुठभेड़ में मारा गया।

सच्चाई: पुलिस पर हत्या का आरोप लगा।

नतीजा: विधान परिषद में विपक्ष ने इसे सुनियोजित 'फर्जी मुठभेड़' बताया। कहा-घर में घुस हत्या की।

एनकाउंटर का वीडियो कई सवाल खड़े करता है : संजय झा

एनडीए की अहम सहयोगी जदयू ने भी मामले में आपत्ति दर्ज कराई है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने चार पुलिसकर्मियों के निलंबन को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर का जो वीडियो सामने आया है, वह कई सवाल खड़े करता है और संदेह पैदा करता है।

यह फेक एनकाउंटर है। मुख्यमंत्री माफी मांगे। पहले भी जाति देखकर कई फेक एनकाउंटर हुए हैं। गायघाट व मधुबनी मामलों में न्याय नहीं मिला है। **-तेजस्वी यादव,** राजद नेता

पुलिस और प्रशासन सरकार को गुमराह ना करे। 48 घंटे में दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो। परिवार और ग्रामीणों पर दर्ज केस वापस लें। **-अश्विनी चौबे,** भाजपा नेता

Hindustan, Patna, 21/06/2026
Page No: 6, Size: 10.21cm × 4.50cm

मारपीट में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

पटना। डॉक्टर और उसके चालक के साथ ट्रैफिक पुलिस की बर्बरतापूर्ण रवैये पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने पटना एसएसपी को पत्र लिखा है। इसमें चिकित्सक और चालक पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से किए गए हमले का जिक्र करते हुए चार सप्ताह के अंदर जबाब मांगा है। पिछले साल दिसंबर में जेपी सेतु गोलंबर पर एनएमसीएएच के आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. विजयेंद्र नाथ चतुर्वेदी और उनके चालक राजकुमार से ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर उपेंद्र साह और अन्य छह पुलिस कर्मियों पर मारपीट कर रुपये छीन लेने का आरोप लगा था।

Navbharat Times, Noida, 21/06/2026
Page No: 3, Size: 20.13cm × 14.31cm

श्रमिक आंदोलन में पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, 77 लोगों ने दी गवाही

चार और लोगों को बनाया आरोपी

■ NBT रिपोर्ट, नोएडा

शहर में 13 अप्रैल को श्रमिक आंदोलन में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अदालत में करीब 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में 77 गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं, जो मामले में आरोपियों के खिलाफ गवाही देंगे। इनमें पुलिसकर्मी, कंपनी के कर्मचारी, प्रत्यक्षदर्शी और अन्य संबंधित लोग शामिल हैं। पुलिस ने मामले में चार नए नाम भी जोड़े हैं। पुलिस ने 10 लोगों को इस मामले का मुख्य आरोपी बनाया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार चार्जशीट में घटनाक्रम, सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजों को शामिल किया गया है। जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर चार नए लोगों के नाम भी आरोपियों की सूची में जोड़े गए हैं। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर 10 लोगों की भूमिका सबसे अहम पाई गई, इसलिए उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आदित्य आनंद, रुपेश रॉय, सत्यम वर्मा, हिमांशु ठाकुर, आकृति, सृष्टि गुप्ता, मनीषा चौधरी, भूपेंद्र, सतीश कुमार और मदुरेश राय को गिरफ्तार किया कर जेल भेजा है।

रुपेश रॉय, आदित्य आनंद, आकृति, मनीषा समेत 10 को बनाया मुख्य आरोपी

नाबालिग हुआ रिहा

■ **NBT रिपोर्ट, नोएडा :** पुलिस ने हिंसा के आरोप में एक नाबालिग (16) को अरेस्ट कर दो महीने तक वयस्क कैदियों के बीच रखा। पुलिस ने उसकी उम्र 19 साल बताकर जेल में डाला था और बिना वकील के उसे कोर्ट में पेश किया। उसे हथकड़ी में देखकर एक वकील ने उसका केस लड़ा और 18 जून को जमानत दिलाई। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया। डीजीपी कारागार प्रशासन व सुधार सेवा विभाग के महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है।

Dainik Bhaskar, Patna, 21/06/2026
Page No: 1, Size: 17.09cm × 18.89cm

आदेश • सीएम की पहल, बोले- निष्पक्ष-पारदर्शी जांच होगी

हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर की जांच

अपने ही नेताओं के सवालों से घिरी सम्राट सरकार

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। सरकार ने उच्चस्तरीय न्यायिक जांच की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच का उद्देश्य घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी पड़ताल करना है। दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

भरत का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। फिर भी पुलिस ने एनकाउंटर किया। घटना के बाद विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। शनिवार को दोपहर 1 बजे पूर्व विधायक राजन तिवारी भरत के घर पहुंचे। बोले दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोपहर 2:30 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे। कहा-48 घंटे में दोषियों को गिरफ्तार करें। दोपहर 4:00 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह पहुंचे। कहा-हर संभव सहयोग करूंगा। दोपहर 4:30 बजे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे। पीड़ित परिवार को 50000 की मदद की।

मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा मामला

मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोषियों पर कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।

फ्लैशबैक... राज्य में पहले भी हुए हैं फेक एनकाउंटर

गया बाराचट्टी हत्याकांड

घटना और मृतक: 5 दिसंबर 1993 को व्यवसायी राजेश धवन और उनके 2 कर्मचारियों की हत्या।
पुलिस का दावा: अपराधियों द्वारा गोलियां चलाने पर आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग।
सच्चाई: पुलिस ने जबरन वसूली के लिए गोली मारी।
नतीजा: निचली कोर्ट ने 1996 में 6 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। 1998 में सुप्रीम कोर्ट दो की सजा उम्रकैद में बदली।

पटना छात्र एनकाउंटर

घटना और मृतक: 28 दिसंबर 2002 को 3 निर्दोष कॉलेज छात्रों (विकास, प्रशांत, हिमांशु) की हत्या।
पुलिस का दावा: तीनों कुख्यात 'अशोक नटवा' डकैत गिरोह के सदस्य थे।
सच्चाई: एसएचओ शमशेर ने पदक के लिए गोली मारी।
नतीजा: 2014 में विशेष अदालत ने एसएचओ को फांसी दी। 2015 में हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी किया।

बेगूसराय दयानंद एनकाउंटर

घटना और मृतक: 31 दिसंबर 2025 को नोनपुर गांव में वांछित माओवादी दयानंद मलाकार की मौत।
पुलिस का दावा: एसटीएफ और जिला पुलिस पर फायरिंग के बाद मुठभेड़ में मारा गया।
सच्चाई: पुलिस पर हत्या का आरोप लगा।
नतीजा: विधान परिषद में विपक्ष ने इसे सुनियोजित 'फर्जी मुठभेड़' बताया। कहा-घर में घुस हत्या की।

एनकाउंटर का वीडियो कई सवाल खड़े करता है : संजय झा

एनडीए की अहम सहयोगी जदयू ने भी मामले में आपत्ति दर्ज कराई है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने चार पुलिसकर्मियों के निलंबन को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर का जो वीडियो सामने आया है, वह कई सवाल खड़े करता है और संदेह पैदा करता है।

यह फेक एनकाउंटर है। मुख्यमंत्री माफी मांगे। पहले भी जाति देखकर कई फेक एनकाउंटर हुए हैं। गायघाट व मधुबनी मामलों में न्याय नहीं मिला है। **-तेजस्वी यादव,** राजद नेता

पुलिस और प्रशासन सरकार को गुमराह ना करे। 48 घंटे में दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हो। परिवार और ग्रामीणों पर दर्ज केस वापस लें। **-अश्विनी चौबे,** भाजपा नेता

पढ़ें शासन-प्रशासन भी

Source: https://www.thehansindia.com/news/national/ips-officer-dayal-gangwar-suspended-1088238#google_vignette

IPS officer Dayal Gangwar suspended
Created On: 20 June 2026 11:50 AM IST
By The Hans India

Bhubaneswar: Odisha Chief Minister Mohan Charan Majhi has suspended senior IPS officer Dayal Gangwar, who is currently serving as Officer on Special Duty (OSD) in the State Home department, according to the Chief Minister's Office. Although the State government on Thursday has not yet disclosed the reason behind the disciplinary action against the Additional Director General of Police (ADGP)-rank officer, it is suspected that the move is linked to Gangwar's alleged involvement in the mental harassment of former Government Railway Police (GRP) constable Soumya Ranjan Swain, who was lynched by a mob in the Balianta area on the outskirts of Bhubaneswar last month. The disciplinary action reportedly follows a probe carried out by Arun Bothra, a senior IPS officer and ADGP Railways and Coastal Security. On May 7, Soumya was beaten to death by a mob of villagers over allegations of sexually assaulting a girl in the Balianta area on the outskirts of Bhubaneswar.

Meanwhile, Soumya'saggrieved mother levelled serious allegations against Gangwar, claiming that her son had been under severe mental pressure due to the 1998-batch IPS officer, during Gangwar's posting as ADGP Railways. She also alleged that the senior police officer not only assigned personal work to the deceased constable but also subjected him to mental harassment. According to Soumya's mother, the former GRP constable was looking after a gym centre allegedly owned by one associate of Gangwar in Bhubaneswar. As the controversy escalated, the State government on May 25 transferred Gangwar, then serving as ADGP Communication and posted him as OSD in the Home department. Later, following the intervention of the National Human Rights Commission, the ADGP (Railways and Coastal Security) was directed to investigate the allegations against Gangwar and submit a report in this regard. The Crime Branch of Odisha Police, which is investigating the brutal mob lynching of Soumya, has so far arrested 18 accused persons, while a search is underway to nab several others who are still absconding.

Source: https://www.thehansindia.com/amp/news/national/bihar-bharat-bhushan-tiwaris-encounter-reaches-human-rights-commissions-1088484

Bihar: Bharat Bhushan Tiwari's encounter reaches human rights commissions
The Hans IndiaUpdate: 2026-06-21 06:45 IST

Patna: The controversy surrounding the police encounter of Bharat Bhushan Tiwari in Bihar's Bhojpur district has taken another significant turn, with the matter now reaching both the National and State Human Rights Commissions.

Human rights lawyer S.K. Jha has filed separate petitions before the National Human Rights Commission in New Delhi and the State Human Rights Commission in Patna, seeking an independent investigation into the incident.

In his petitions, Jha sought several measures, including registration of an FIR against all police personnel involved in the encounter, an independent investigation under the supervision of a retired judge, strict legal action against any police officials found guilty, adequate compensation for the victim's family, and a fair and impartial inquiry into the circumstances surrounding the death.

According to the lawyer, the case constitutes a serious human rights issue and therefore requires an independent investigation to establish the facts.

Bharat Bhushan Tiwari, a resident of Bilauti village under the Shahpur police station area in Bhojpur district, was killed during a police encounter.

Since the incident, conflicting claims have emerged regarding the circumstances of the shooting. The police have maintained that Tiwari opened fire on the police team, prompting retaliatory action.

However, family members and several political leaders have alleged that he had surrendered before being shot. Videos circulating on social media have further intensified public debate and raised questions about whether established police procedures were followed.

The encounter has already triggered strong political reactions across Bihar. Leaders from both the opposition and the ruling alliance have sought a transparent investigation into the incident.

The Bihar government has announced a judicial inquiry into the case, to be conducted by a retired High Court judge. In addition, several political parties, social organisations, and rights groups have demanded an impartial probe.

The petitions before the human rights commissions add another dimension to the case, focusing specifically on potential human rights violations and accountability.

Cases involving deaths during police encounters often attract scrutiny from human rights bodies, particularly when there are allegations of excessive force, procedural violations, or disputed circumstances.

Source: https://the420.in/dayal-gangwar-ips-suspended-constables-domestic-work-odisha-officer/

Bureaucracy

Senior IPS Officer Dayal Gangwar Suspended Over Alleged Deployment of Constables as 'Personal Staff'
By The420 Web Desk
Last updated: June 20, 2026 11:14 pm

The Odisha government has suspended senior IPS officer Dayal Gangwar following an inquiry into allegations that a Government Railway Police constable serving under him had been deployed for domestic and personal work without authorisation.

The decision was approved by Chief Minister Mohan Charan Majhi, according to officials, after an inquiry examined allegations concerning Soumya Ranjan Swain, a 32-year-old constable who was lynched by a mob in Balianta, near Bhubaneswar, on May 7.

Gangwar has not been accused of involvement in the lynching itself. But Swain's parents have alleged that their son had earlier been subjected to physical and mental pressure while working under the officer and had been compelled to perform duties unrelated to his official role.

The suspension has therefore drawn attention to two separate but intersecting questions: the circumstances surrounding Swain's death, and the longstanding practice within parts of the police hierarchy of treating lower-ranking personnel as private staff.

From Senior Police Office to Household Duty
Gangwar, a 1998-batch IPS officer, had held senior positions including Inspector General and Additional Director General of Police. At the time the controversy surfaced, he had served as ADG Railways and later ADG Communication.

The inquiry reportedly found that Gangwar had engaged eight constables of the Railway Police in domestic work at his residence and at a private gym, allegedly without formal approval. Even after being removed from the post, he was accused of continuing to assign personal work to subordinate personnel.

The allegations became public after Swain's death.

His father, Dushasan Swain, alleged that Gangwar had forced his son to carry out personal tasks that had no connection with his official responsibilities. He further claimed that the officer pressured Swain to invest money in a gym associated with one of Gangwar's acquaintances and that the money was not returned.

Swain's mother, Kabita Swain, alleged that her son had been under severe mental stress and that he was required to look after the gym during mornings and evenings. The family said the alleged pressure had affected him deeply.

The officer was transferred to the Home Department as an Officer on Special Duty on May 26, a posting widely seen as punitive. An ADG-rank officer was subsequently asked to investigate the allegations.

Gangwar could not be reached for comment after his suspension.

A Lynching That Opened a Wider Inquiry

Swain's death initially appeared to be a case of mob violence unrelated to his service conditions.

He was riding pillion on a motorcycle with his friend Om Prakash Rout when the vehicle collided with a scooter near a bridge in the Balianta area. Two women riding the scooter accused Swain of attempting to sexually assault them, after which a crowd of roughly 40 to 50 people allegedly attacked him and Rout.

Rout escaped with minor injuries. Swain was beaten to death.

The attack took place about 16 kilometres from Swain's home in Maujpur, Cuttack. His family accused the police of failing to intervene effectively during the assault. Four junior police personnel were later suspended, and the Odisha Crime Branch began investigating the killing.

At least 18 people have reportedly been arrested in connection with the lynching, while searches have continued for other accused persons.

The National Human Rights Commission also examined the case and recorded Gangwar's statement. The family asked that its allegations against the senior officer be considered as part of the wider inquiry into the circumstances surrounding Swain's death.

There is no allegation that Gangwar ordered, encouraged or participated in the mob attack. The government's action instead concerns the treatment of Swain before the killing and the alleged misuse of subordinate police personnel.

The Unequal Culture Inside Police Forces

The case has exposed a form of institutional inequality that is often acknowledged informally but rarely reaches the level of disciplinary action against a senior officer.

Police constables occupy the lowest operational rung of the force. They perform long shifts, crowd control, field duty, escort work and routine enforcement. Yet in some departments, lower-ranking personnel are also informally assigned to the homes of senior officers, where they may be expected to cook, clean, drive family members, tend gardens or perform other private tasks.

Such practices blur the line between official hierarchy and private servitude.

A constable may technically remain a government employee, but refusing a senior officer's personal instruction can carry professional consequences. Transfers, leave approvals, duty rosters and performance assessments are often controlled from above, creating an environment in which apparent consent may be shaped by fear.

The allegations against Gangwar are serious precisely because they involve the conversion of public manpower into private service. If constables were assigned to a private residence or gym without lawful sanction, the issue would extend beyond individual misconduct to misuse of state resources.

The suspension also signals an attempt by the Odisha government to distinguish between permissible official support and unauthorised personal service. Senior officers may receive staff for security, communication or formally approved duties. That entitlement does not extend automatically to unrestricted household labour.

Suspension, Accountability and the Questions Ahead

The inquiry against Gangwar reportedly substantiated allegations that constables had been used for domestic and personal work. The government has now placed him under suspension, but the disciplinary process is not

necessarily complete.

A suspension is an interim administrative measure, not a finding of criminal guilt. It removes an officer from active duty while the government considers further action and protects the integrity of the inquiry.

Several questions remain.

It is not yet clear what specific evidence the inquiry relied upon, whether the eight constables gave statements, what records existed concerning their postings or whether any financial transaction linked to the gym was independently verified.

There is also the question of whether responsibility extended beyond one officer. If personnel were regularly assigned to domestic work, others in the chain of command may have known about or facilitated the arrangement.

The case may also prompt scrutiny of how many police personnel in Odisha are deployed outside their sanctioned functions and whether similar practices exist elsewhere in the force.

For Swain’s family, however, the suspension carries a more personal meaning. They have argued that the system in which their son worked allowed a senior officer to treat him as private staff while leaving him vulnerable and under pressure.

The lynching remains a separate criminal investigation. But the disciplinary action against Gangwar has ensured that the circumstances of Swain’s service will not disappear into the background.

The case now stands as a stark reminder of how hierarchy can become exploitation when official power enters the private sphere. A police officer entrusted with enforcing the law is also bound by the rules governing public service. A constable, however junior, remains a state employee — not the personal servant of a superior.

Source: https://www.thehindu.com/news/national/telangana/transport-officials-in-telangana-seize-three-modified-private-buses-from-arunachal-pradesh/article71126011.ece

Transport officials in Telangana seize three modified private buses from Arunachal Pradesh
Published - June 20, 2026 07:33 pm IST - Hyderabad

The Hindu Bureau

The Transport Department officials on Saturday seized three private sleeper buses registered in Arunachal Pradesh during a special enforcement drive. The seized vehicles were fitted with glass chambers which officials said posed a serious threat to passenger safety.

The department said that the development has been communicated to relevant authorities in Arunachal Pradesh. Information in connection with the registration, fitness certificate and permit too has been sent. The Transport Department has requested authorities in that State to examine whether these buses conform to approved designs, prescribed safety standards and provisions of the Motor Vehicles Act, and to initiate appropriate action if violations are established.

The action comes amid a wider crackdown on long-distance private buses operating in the State. Following a tragedy in which passengers aboard a private travels bus registered in Rayagada in Odisha were killed, Transport Minister Ponnam Prabhakar last October had proposed an interstate meeting to develop a mechanism so as to monitor buses operating on All-India tourist permits.

The department, reiterated the National Human Rights Commission’s concerns over enclosed cabins and structural modifications that could obstruct evacuation and rescue operations during accidents or fires. Studies by the Central Institute of Road Transport, Pune, they said, have also flagged such modifications as a safety risk.

Officials said prescribed safety norms for sleeper coaches require adequate emergency exits, accessible escape routes and unobstructed passenger movement within buses. Glass chambers and similar modifications can impede evacuation and hamper rescue efforts during emergencies.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/nhrc-seeks-report-on-students-death-in-koderma-pvt-schools-hostel/articleshow/131876904.cms

NHRC seeks report on student's death in Koderma pvt school's hostel
Manoj Kumar TNN | Jun 20, 2026, 06.33 PM IST

Koderma: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of the death of a 16-year-old student inside his hostel room at a private school in Jhumri Tilaiya in Koderma district on May 3.
Acting on a complaint filed by Ranchi-based social activist Vaidnath Kumar on May 27, the commission in a notice on June 16, has sought a detailed action taken report from the Koderma deputy commissioner and SP within two weeks.
Police registered a case following a complaint lodged by deceased Udit Raj's father, Vijay Kumar Yadav, who alleged foul play and claimed his son was murdered. In his statement, Yadav said his son had earlier complained to his brother and nephew about harassment. He also accused the school management of negligence, alleging that authorities failed to use an available vehicle on campus to shift Udit for timely medical assistance.

During investigation, police recovered live bullets from the hostel room, raising further suspicion around the circumstances of the death. Based on preliminary findings, hostel in-charge, Vinod Singh, was arrested.

Grieving family members, local activists and representatives of various political parties have launched an indefinite protest, demanding strict action against all those involved.

Koderma DC Utkarsh Gupta on Saturday said that they are yet to get the NHRC communication. "However, the administration will ensure justice for the family."

SP Kumar Shivashish added, "The investigation is ongoing and police are awaiting forensic reports for clarity. No one involved will be spared."

Source: https://hindupost.in/dharma-religion/two-children-six-years-still-no-answers-nhrc-takes-cognizance-of-drugging-and-abuse-by-a-christian-pastor-and-his-wife-in-eluru-ap/#

Dharma & Religion

Two children, six years, still no answers: NHRC takes cognizance of drugging and abuse by a Christian pastor and his wife in Eluru: AP
June 20, 2026 Vishnu

What happened to the two children?

That question has remained unanswered for more than six years despite allegations involving the administration of drugs to minors, intervention by child rights authorities, police inquiries, statutory notices, RTI applications, and now the intervention of the National Human Rights Commission (NHRC).

The disturbing case first surfaced on 8 January 2020 when The Hindu reported that a Christian pastor and his wife in the West Godavari district of Andhra Pradesh were accused of administering country-made drugs to two minor siblings during proceedings concerning their custody and welfare. According to the report, the children allegedly became mentally disturbed following the incident. The seriousness of the allegations prompted police action under Section 77 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, which deals with the administration of intoxicating substances to children.

The allegations did not stop there. The same report stated that the pastor and his wife allegedly attempted to place the children under their own foster care. Recognizing the gravity of the matter, the Child Welfare Committee (CWC) treated the case as a serious child protection issue and directed the District Child Protection Unit and the police to conduct a detailed inquiry. The children were reportedly separated and placed in different schools as part of the protective measures ordered during the investigation.

Given the serious nature of the allegations, the Legal Rights Protection Forum (LRPF) approached the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). Acting on the complaint, the NCPCR issued an official notice on 17 February 2020 to the District Collector of West Godavari, directing the district administration to investigate the matter and submit a detailed action taken report along with authenticated records and findings. The intervention of the country’s apex child rights body reflected the seriousness with which the allegations were viewed.

Yet, despite the passage of six years, the outcome of that inquiry remains shrouded in secrecy. No comprehensive findings have been publicly disclosed. No official clarification has been provided regarding the status of the investigation, whether prosecutions were initiated, whether the allegations were substantiated or disproved, and most importantly, what ultimately happened to the two children whose welfare was at the center of the controversy.

Repeated attempts by LRPF to obtain information through the Right to Information Act have allegedly met with resistance. Applications seeking details regarding the inquiry committee, investigation findings,

recommendations, prosecution status, and departmental action were reportedly denied on the grounds that the information was ‘confidential.’ Such refusals have only deepened concerns about transparency and accountability in a matter involving vulnerable children and serious allegations of abuse.

The authorities’ prolonged silence has raised troubling questions. If a detailed investigation was conducted, why have its conclusions never been disclosed? If wrongdoing was established, what action was taken against those responsible? If the allegations were found to be unsubstantiated, why has no official closure been communicated to the public? The absence of answers has fueled apprehensions that influential individuals may have been shielded from scrutiny and accountability.

The case also raises broader legal concerns. Allegations involving the administration of unknown substances to minors extend beyond child welfare and potentially enter the domain of criminal law relating to narcotic, psychotropic, or other prohibited substances. Determining the source, nature, possession, and administration of the alleged drugs is essential not only for establishing accountability but also for ensuring that similar incidents do not occur again. For this reason, calls have been made for an impartial, multi-agency investigation, including examination of whether offenses under narcotic and psychotropic substance laws may have been committed.

Now, in a significant development, the National Human Rights Commission has taken cognizance of the complaint under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. Observing that the allegations prima facie disclose possible violations of the human rights of the children involved, the NHRC has issued notices to the district magistrate and superintendent of police, Eluru, directing them to inquire into the allegations and submit an action taken report within seven days. The Commission’s intervention represents perhaps the most important opportunity in years to bring transparency and accountability to a case that has remained unresolved in the public domain.

At its core, this is not merely a story about administrative delays or missing reports. It is a story about two children whose lives were allegedly altered by a deeply disturbing incident and whose quest for justice appears to have been lost in a maze of bureaucratic silence. Children cannot fight powerful systems on their own. Society, institutions, and the rule of law must speak for them. Until the truth is fully established and publicly disclosed, the fundamental question remains unanswered:

What happened to the two children?

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/noida-workers-unrest-nhrc-takes-cognisance-of-toi-report-on-juvenile-kept-in-kasna-jail-for-two-months/articleshow/131882717.cms

Noida workers unrest: NHRC takes cognisance of TOI report on juvenile kept in Kasna jail for two months
Jaideep Deogharia Jun 21, 2026, 12.58 AM IST

Noida: The National Human Rights Commission on Friday took suo motu cognisance of media reports that a 16-year-old arrested during the April 13 industrial workers' agitation in the city spent nearly two months in Kasna jail alongside adult prisoners before a court-ordered ossification test confirmed his minority. The commission also noted that it took prison authorities six days after the test report was submitted on June 6 before he was transferred to a juvenile home in Noida.

On June 12, a TOI report, "Test shows he is 16, but juvie held for city unrest in jail for 2 months", highlighted how the teenager spent nearly two months in Kasna prison alongside adult prisoners despite securing bail, because his family could not furnish Rs 1.5 lakh for his release.

The NHRC observed that the contents of the report, if true, raised a serious issue of human rights violation. It issued notices to the Uttar Pradesh director general of prisons (administration and reform services) and the director general of police, seeking a detailed report within two weeks, and directed its Director General (Investigation) to depute a team for a spot inquiry within a week.

The minor was picked up from his residence on April 14 by a UP Police team and charged under BNS Sections 109(1) (attempt to murder), 190 (unlawful assembly), 191(1), (2), (3) (rioting with deadly weapons), 121(2) (grievous hurt to a public servant), 132 (assaulting a public servant), 133 (assault with intent to dishonour), 125 (acts endangering life), 127(2) (wrongful confinement), 115(2) (voluntarily causing hurt), 352 (intentional insult to provoke), 351(3) (criminal intimidation), 61(2) (criminal conspiracy), 324(4)(5)(6) (mischief causing minor to major damage and harm), 326(1) (mischief by fire or explosives to destroy), 326(G) (mischief to public infrastructure), as well as the Prevention of Damage to Public Property Act and the Criminal Law Amendment Act.

The juvenile walked free on June 18, nearly three weeks after securing bail on May 29, after the family arranged the required bond. Advocate Manik Gupta, representing the minor, told TOI that the court, while still treating the accused as an adult, set bail at a personal bond of Rs 50,000 with two sureties of the same amount.

An application under Section 12(1) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act was subsequently filed seeking release on personal bond and reduction of surety. The sessions court reduced the surety to Rs 30,000 in the Phase II police FIR — in which bail was granted on May 29 — with motorcycle papers furnished towards it. The court also ordered his release in the two remaining FIRs on personal bond, paving the way for his release.

Advocate Gupta said a police team visited the minor's residence on Saturday and had some papers signed by the boy. "They were inquiring about his elder brother and took a copy of his Aadhaar card," he said.

The GB Nagar police commissionerate issued a clarification stating that the juvenile worked at Staunch Electronics India LLP, Sector 83, Phase II, and used an Aadhaar card issued in the name of Dinesh, son of Ramdeen, showing an age of 19 years. Police said that during his arrest on April 15, the juvenile identified himself as Dinesh. "During that time, even the medical report mentioned his age as 18 years, and a legal inquiry has been ordered into the

entire episode," the clarification stated.

Gupta, however, said police were attempting to cover up the matter after the NHRC issued a notice to the DGP. "The juvenile was never referred to by any alias in earlier cases. Now, suddenly, they have procured the Aadhaar card of his elder brother Dinesh and are cooking up a story," he said. Gupta added that on Saturday, Dinesh was repeatedly contacted by police and pressured into recording a video stating that his younger brother took his Aadhaar card to enrol in a factory and was working there.

Source: https://www.scconline.com/blog/post/2026/06/20/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-minor-kept-in-adult-jail-in-up/

HomeCase BriefsNhrc Takes Suo Motu Cognizance Of Alleged Illegal Confinement Of Minor As Adult Inmate In Gautam Budh Nagar Jail

NHRC takes suo motu cognizance of alleged illegal confinement of minor as adult inmate in Gautam Budh Nagar jail

Taking suo motu cognizance of media reports, NHRC has sought reports from U.P. authorities and ordered a spot inquiry into the alleged detention of a minor in an adult prison
Published on June 20, 2026By Malika Bhola

The National Human Rights Commission has taken suo motu cognizance of a media report that a 16-year-old boy from Shahjahanpur district, Uttar Pradesh, was allegedly arrested and kept illegally as an adult inmate in Kasna Jail for more than two months. Even after an ossification test confirmed him to be a minor, it reportedly took six more days to shift him to a juvenile home. Despite being granted bail by the court, he continues to remain in the juvenile home as his family is unable to arrange the surety bond. Reportedly, the boy was arrested following protests by labourers demanding a pay hike and improved working conditions.

Observing that the contents of the news report, if true, raise a serious issue of human rights violation, the Commission has issued notices to the Director General of Prisons Administration and Reform Services and the Director General of Police, Uttar Pradesh, calling for a detailed report within two weeks. The Commission has also directed its Director General (Investigation) to depute a team of officers to conduct a spot enquiry and submit a report within one week.

As per the media report, the boy was allegedly called to collect a parcel in his name, whereupon he was arrested by the police. An FIR was registered against him under several serious provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita. It has further been alleged that he was assaulted by the police and compelled to sign certain documents. The Commission is examining the matter in view of the allegations of illegal confinement of a minor and the consequent human rights concerns arising therefrom.

Source: NHRC Press Release

Source: https://firstbihar.com/crime/bharat-tiwari-encounter-human-rights-commission-petition-filed-458066

भरत तिवारी एनकाउंटर मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, निष्पक्ष जांच की उठी मांग

भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। याचिका में निष्पक्ष जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई है।
Jitendra Vidyarthi
20 जून 2026 को 08:11 pm बजे IST

MUZAFFARPUR: भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। यह मामला अब राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है।

मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के. झा ने इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली तथा राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।

गौरतलब है कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की पुलिस एनकाउंटर के बाद मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और विभिन्न संगठनों तथा राजनीतिक दलों की ओर से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने अपनी याचिका में मांग की है कि एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। साथ ही, इस पूरे मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। अधिवक्ता एस.के. झा ने कहा कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन की अत्यंत गंभीर श्रेणी में आता है और इसकी निष्पक्ष जांच बेहद आवश्यक है।

Source: https://zeenews.india.com/hindi/india/bihar-jharkhand/bhojpur/bhojpur-encounter-case-reaches-human-rights-commission-advocate-sk-jha-files-petition/3250876/amp

भोजपुर एनकाउंटर: मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचा केस, अधिवक्ता एसके झा ने दायर की याचिका

भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर लगातार तूल पकड़ते जा रहा है. अब यह मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है. मुजफ्फरपुर के चर्चित मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर करके दोषी पुलिसकर्मियों को सख्त सजा देने की मांग की है.

Written By Manitosh kumar Edited By: K Raj Mishra

Published: Jun 21, 2026, 06:56 AM IST | Updated: Jun 21, 2026, 06:59 AM IST

Bhojpur Encounter: भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर लगातार तूल पकड़ते जा रहा है. विपक्ष के साथ-साथ सत्तापक्ष के भी कुछ बड़े नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है. अब यह मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है. मुजफ्फरपुर के चर्चित मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने भोजपुर एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज कराते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. दरअसल, भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी का पुलिस ने हाल ही में एनकाउंटर किया था. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने इस एनकाउंटर को फेक बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर करवाई की मांग को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं. उन्होंने अपनी याचिकाओं में मांग की है कि इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए रिटायर्ड जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. अधिवक्ता एसके झा ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है.

मनवाधिकार अधिवक्ता झा ने कहा कि यह पूरा मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का मामला है, इसलिए इस मामले का सही जांच करा करके दोषी पुलिसकर्मियों सख्त से सख्त करवाई हो. जिससे फिर कोई पुलिसकर्मी इस तरह का कार्य करने की नहीं सोचे. इस मामले में लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. विपक्ष के साथ-साथ एनडीए के बड़े नेताओं ने भी इस एनकाउंटर को फेक बताया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अश्वनी चौबे ने भरत तिवारी को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि उनके खून को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और हम दोषियों की बंदूक छीन लेंगे और उन्हे जेल भेज कर रहेंगे.

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-human-rights-violation-arrest-of-bharat-bhushan-tiwari-draws-attention-201781973397891.html

एनकाउंटर की न्यायिक जांच स्वागतयोग्य : विशाल दफ्तुआर
Jun 20, 2026 10:16 pm IST
Newswrap हिन्दुस्तान,आरा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगले सप्ताह कर सकता है पहल, में पुलिस एनकाउंटर में निहत्थे भरत भूषण तिवारी की हत्या कर देना मानवाधिकार हनन की वीभत्स घटनाओं में से एक है।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगले सप्ताह कर सकता है पहल आरा। भरत भूषण तिवारी सिस्टम की खामियों से आक्रोशित एक तेजतर्रार युवा था, जिसने कई रचनात्मक कार्यों और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई थी। उसकी कार्यशैली में कई खामियां निकाली जा सकती हैं, लेकिन उसके इरादे नेक और समाज की भलाई हेतु थे। आरा में पुलिस एनकाउंटर में निहत्थे भरत भूषण तिवारी की हत्या कर देना मानवाधिकार हनन की वीभत्स घटनाओं में से एक है।

मानवाधिकार हनन
इस घटना के लिये दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इन तथ्यों का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं वैश्विक स्तर की संस्था ह्युमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन-एचआरयूएफ के फाउंडर चेयरमैन विशाल रंजन दफ्तुआर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा भरत तिवारी के एनकाउंटर की पटना हाईकोर्ट के रिटायर जज से करवाने का आदेश स्वागत योग्य है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगले सप्ताह इस मामले में पहल कर सकता है, लेकिन इसी बीच अगर न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी, तब एनएचआरसी को पहल करने में संवैधानिक बाधा आ सकती है।

जांच की प्रक्रिया
बताया कि भरत तिवारी के एनकाउंटर का विरोध कर रहे लोगों पर एफआईआर गलत है। एचआरयूएफ लीगल टीम इस मामले का अवलोकन कर रही है और जरूरत पड़ने पर एचआरयूएफ पहल कर सकती है।

Source: https://www.jagran.com/bihar/muzaffarpur-bhojpur-police-encounter-human-rights-commission-petition-hindi-news-40279551.html

भोजपुर पुलिस मुठभेड़ मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा, जांच और एफआईआर की मांग
By Sanjiv Kumar Edited By: Ajit kumar
Updated: Sat, 20 Jun 2026 06:57 PM (IST)

Bhojpur Encounter: भोजपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक युवक की मौत का मामला अब राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। अधिवक्ता एस.के. झा ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर, न्यायिक जांच और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की है।

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Human Rights Commission: भोजपुर जिले में पुलिस मुठभेड़ में हुई एक युवक की मौत का मामला अब राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है।

मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के. झा ने इस प्रकरण को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की हैं।

मुठभेड़ में हुई थी भरत की मौत
याचिका के अनुसार भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर अब मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप की मांग की गई है।

न्यायिक निगरानी में जांच की मांग
दायर याचिकाओं में मांग की गई है कि मुठभेड़ में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। साथ ही पूरे मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (रिटायर्ड जज) की निगरानी में कराई जाए, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके।

पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग
याचिकाकर्ता ने आयोग से दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। अधिवक्ता एस.के. झा का कहना है कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन की गंभीर श्रेणी में आता है, इसलिए इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

Source: https://hindi.news18.com/news/bihar/bhojpur-bharat-tiwari-encounter-case-petition-filed-in-nhrc-local18-10589835.html

भरत तिवारी एनकाउंटरः पुलिसवालों के खिलाफ दर्ज हो FIR, मानवाधिकार आयोग से मांग, याचिका दायर
Reported by: PRIYANK SAURABH Edited by: Mahesh Amrawanshi
Last Updated: June 21, 2026, 08:44 IST

भरत तिवारी एनकाउंटर केस में कई नेताओं ने भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एक अधिवक्ता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामले से जुड़ी दो याचिकाएं दर्ज कराई हैं. जिसमें उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. साथ ही भरत के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की है.

आराः भोजपुर का भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामला तूल पकड़ता जा रहा है. राजनीतिक हलकों में विरोध के स्वर तेज होने के साथ ही अब यह मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया. मुजफ्फरपुर के चर्चित मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने इस एनकाउंटर को फेक बताते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही पीड़ित परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की गई.

मामला भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का है. जहां के निवासी भरत भूषण तिवारी की मौत पुलिस एनकाउंटर में हो गई. अधिवक्ता एस.के. झा का आरोप है कि यह एनकाउंटर फर्जी है. इसमें गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है. इसी को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं.

क्या-क्या मांगें की गईं
अधिवक्ता ने अपनी याचिका में मांग की है कि इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए. पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाए. उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए. मालूम हो कि शनिवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केस की जांच के रिटायर्ड जज से कराने का निर्देश दिया था.

अधिवक्ता ने बताया मानवाधिकार का उल्लंघन
मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने इस घटना को मानवाधिकार उल्लंघन की अति गंभीर श्रेणी में रखा है. उनका कहना है कि निष्पक्ष और प्रभावी जांच के बिना न्याय संभव नहीं है, और कड़ी कार्रवाई ही भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगा सकती है, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी इस तरह की कार्रवाई करने से पहले सौ बार सोचे. मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर होने के बाद अब इस पूरे मामले पर राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर नजरें टिकी हैं.

Source: https://www.bhaskar.com/local/bihar/muzaffarpur/news/bhojpur-encounter-human-rights-commission-fir-demand-138243639.html

Hindi NewsLocalBiharMuzaffarpurBhojpur Encounter Case Reaches Human Rights Commission; FIR Sought

भोजपुर एनकाउंटर मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा:वकील ने पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने की मांग की, कहा- दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो
मुजफ्फरपुर 14 घंटे पहले

भोजपुर में हुए एनकाउंटर का मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर जिले के मानवाधिकार मामलों के वकील एस.के. झा ने भोजपुर एनकाउंटर मामले में मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज की है।

वकील एस.के.झा ने इस पूरे मामले को लेकर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना में दो अलग - अलग याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की है कि इस एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए रिटायर्ड जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच कराई जाए।

साथ ही दोषियों पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाए। उनकी ओर से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। वकील झा ने कहा कि यह पूरा मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर श्रेणी का मामला है।

सरेंडर करने के बाद हुआ था एनकाउंटर

बता दें कि भोजपुर और एसटीएफ की टीम ने भरत की ओर से सरेंडर किए जाने के बावजूद गोली मार दी गई। जिससे उसकी मौत हो गई। भरत के एनकाउंटर को लेकर गुरुवार को आरा में सड़क जाम कर लोगों ने बवाल किया। प्रदर्शनकारी पुलिस प्रशासन को दोषी ठहरा रहे थे। लोगों का सवाल है कि मानसिक रूप से बीमार और सरेंडर करने के बाद भरत का एनकाउंटर क्यों किया गया।

Source: https://thenewspost.in/amp/news/bihar/muzaffarpur/bhojpur-encounter-case-reaches-human-rights-commission-advocate-sk-jha-files-petition

भोजपुर एनकाउंटर मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, अधिवक्ता एस.के. झा ने दायर की याचिका

Rajnish Sinha
Sr. Copy Editor

Published: June 20, 2026, 11:07 PM

मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) : भोजपुर में हुए चर्चित पुलिस एनकाउंटर का मामला अब मानवाधिकार आयोग की चौखट तक पहुंच गया है. शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की एनकाउंटर में हुई मौत को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कर निष्पक्ष जांच तथा दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है.

निष्पक्ष जांच की मांग

जानकारी के अनुसार, भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी की मौत हाल ही में पुलिस एनकाउंटर में हुई थी. इस घटना को लेकर विभिन्न स्तरों पर सवाल उठाए जा रहे हैं. अब अधिवक्ता एस.के. झा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया है.

याचिका में कहा गया है कि एनकाउंटर की परिस्थितियों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए. इसके साथ ही एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने तथा मामले की जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की गई है. अधिवक्ता ने यह भी आग्रह किया है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या दोष सिद्ध होता है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

उचित मुआवजा देने की भी मांग

एस.के. झा ने अपनी याचिका में मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है. उनका कहना है कि किसी भी नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है तथा किसी भी संदिग्ध मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता है.

अधिवक्ता ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन की गंभीर श्रेणी में आता है, इसलिए इसकी गहन जांच आवश्यक है. उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग इस मामले का संज्ञान लेकर संबंधित पक्षों से जवाब तलब करेंगे और न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

सबकी नजरें टिकी

फिलहाल आयोग की ओर से याचिका पर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन मामले के मानवाधिकार आयोग तक पहुंचने के बाद इस एनकाउंटर की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. वहीं, मृतक के परिजन भी मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं.

Source: https://www.livehindustan.com/bihar/petition-filed-in-nhrc-bhrc-in-arrah-bharat-tiwari-encounter-demand-of-fir-on-police-men-involved-in-act-201781961015205.html

VIDEO: भरत तिवारी एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मांग
20, 2026 08:22 pm Sudhir Kumar

मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा(एसके झा)ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार मानवाधिकार आयोग में मामला दायर किया है। उन्होंने एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी

Bharat Tiwari Encounter NHRC: बिहार के आरा में भरत भूषण तिवारी के पुलिस
एनकाउंटर का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा (एसके झा) ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विहार मानवाधिकार आयोग में मामला दायर किया है। उन्होंने एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की मांग आयोग से की है।

अधिवक्ता एसके झा ने बताया है कि यह मामला मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है। पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या कर दी। जब उससे हथियार वापस ले लिया गया तब जान मारने की नीयत से गोली मारना कहीं से कानून सम्मत नहीं है। यह मामला पुतिस की संवेदनहीनता का परिचायक है क्योंकि, भरत तिवारी ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया उसके बाद गोली मारी गयी। यह मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में अलग अलग पेटिंपान दायर किया गया है।

एसके झा ने बताया कि इन दिनों फेक एनकाउंटर का मामला पूरे देश में देखा जा रहा है। पुलिस अपनी खुन्नस निकालने के लिए बदमाशों का फर्जी एनकाउंटर कर रही है। इन मामलों में दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होता है तो पुलिस निरंकुश हो जाएगी जो लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं है।

अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में पुलिस कर्मियों का निलंबन पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। पुलिस को अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार से खुली छूट भले ही हो लेकिन, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होना चाहिए। जबतक गिरफ्तारी की गुंजाइश रहे तबतक गोली मारना सही नहीं है। वरीय पदाधिकारियों द्वारा इंस्पेक्टर और दारोगा समेत तीन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई यह बताता है कि गलत हुआ था। ऐसे में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच और कार्रवाई आवश्यक हो जाता है।

इस मामले में बिहार सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में दिनांक 17.06.2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है।

Source: https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/arrah/ara-encounter-nhrc-bharat-tiwari-fir-road-jam-case

भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अब NHRC की एंट्री, पिता-भाई समेत 14 पर FIR दर्ज
Edited by Ragini Sharma
Updated: Sat, 20 Jun 2026 10:09 AM (IST)

Bharat Tiwari Encounter : आरा के शाहपुर बिलौटी एनकाउंटर मामले ने तूल पकड़ते हुए अब NHRC तक पहुंच गया है. मामले में पुलिस ने पिता-भाई पर केस दर्ज किया, जबकि सड़क जाम में 14 नामजद किए गए हैं. परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है. अब इस पूरे मामले में NHRC की जांच और आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.
Bharat Tiwari Encounter : भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए चर्चित पुलिस मुठभेड़ मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है. दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने इस पूरे प्रकरण को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में उठाते हुए स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसे लेकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

NHRC में शिकायत से बढ़ी पुलिस की मुश्किल
इस पूरे मामले के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचने के बाद अब पुलिस की कार्रवाई पर बाहरी जांच की मांग तेज हो गई है. शिकायतकर्ता ने इसे संदिग्ध मौत बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

मुठभेड़ और फायरिंग में दो अलग-अलग केस दर्ज
इधर पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई तेज करते हुए दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है. पहली प्राथमिकी मुठभेड़ को लेकर भरत भूषण तिवारी के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि दूसरी प्राथमिकी पुलिस पर फायरिंग और सहयोग के आरोप में उसके पिता काशी नाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को नामजद किया गया है. पुलिस का कहना है कि भरत भूषण तिवारी के पास अवैध हथियार होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 17 जून की सुबह पुलिस टीम उसके घर पहुंची थी.

दरवाजा खुलते ही पुलिस पर तान दी पिस्टल
प्राथमिकी के अनुसार, सुबह करीब 5:10 बजे पुलिस ने घर की घेराबंदी कर दरवाजा खुलवाया. आरोप है कि दरवाजा खुलते ही भरत भूषण तिवारी आक्रोशित हो गया और हाथ में पिस्टल लेकर थानाध्यक्ष पर हमला करने की कोशिश की. स्थिति को भांपते हुए पुलिसकर्मी पीछे हट गए. इसके बाद भरत घर की छत पर चढ़ गया और पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की.

पुलिस के अनुसार इस दौरान जवान बाल-बाल बच गए. जब भी पुलिस टीम घर के करीब पहुंचने की कोशिश करती, वह लगातार फायरिंग करता रहा.

पुलिस का दावा, परिजनों ने दिया संरक्षण
पुलिस का आरोप है कि इस दौरान जब भरत के पिता और भाई से हथियार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी. प्राथमिकी में कहा गया है कि दोनों को अवैध हथियार की जानकारी थी, बावजूद इसके उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी और उसे संरक्षण देते रहे. इसी आधार पर पिता और भाई के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

सरेंडर का नाटक कर छकाया
प्राथमिकी के अनुसार एसटीएफ और शाहपुर पुलिस टीम द्वारा बधार में उसे चारों तरफ से घेर लिया गया. उससे बार-बार आत्मसमर्पण करने को कहा जा रहा था, लेकिन वह चालाकी करने लगा. उसने आत्मसमर्पण का दिखावा करते हुए अपनी पिस्टल को कुछ दूरी पर आगे फेंक दे रहा था. लेकिन पुलिस पिस्टल को जब्त करने के लिए आगे बढ़ती, तो और तेजी से लपका कर दोबारा पिस्टल उठा ले रहा था और चैलेंज करते हुए पुलिस पर फायरिंग करने लगता था.

पुलिस को कर रहा था चैलेंज
एफआईआर के मुताबिक वह बाये हाथ में मोबाइल एवं दाहिने हाथ में पिस्टल लेकर गाली देते हुए पुलिस को चैलेंज करता रहा. उसके द्वारा लगातार फायरिंग

करने से छन मानस को भी खतरा उत्पन्न होने लगा था. थानाध्यक्ष द्वारा काफी समझाने पर वह सरेंडर करने के तैयार हो गया. पिस्टल भी फेंक दिया. लेकिन एक जवान पिस्टल जब्त करने पहुंचा, तभी उसने लपक पिस्टल उठा लिया और दो राउंड फायरिंग कर दी. उस अचानक जानलेवा हमले के बाद, उसकी 'टैक्टिकल क्लोज कोर्डनिंग' कर रहे एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार ने तुरंत मोर्चा संभाला. उन्होंने आत्मरक्षार्थ अपनी सरकारी पिस्टल से आरोपित के कमर के नीचे पैर को निशाना बनाकर 4 राउंड फायरिंग की.

गोली लगते ही अभियुक्त जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा. उसके बाद उसे तुरंत हिरासत में लेकर इलाज के लिए शाहपुर रेफरल अस्पताल भेजा गया. पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

एनकाउंटर के बाद बवाल, सड़क जाम
भरत तिवारी की मौत के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एनएच-922 को जाम कर दिया. इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 14 नामजद और करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. यह केस शाहपुर थाने में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक सच्चिदानंद यादव के आवेदन पर दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि सड़क जाम कर कानून व्यवस्था बाधित करने वालों की पहचान कर आगे भी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रही है, तो दूसरी ओर परिजन और समाज के लोग इसे संदिग्ध एनकाउंटर बता रहे हैं. अब सबकी नजरें NHRC की कार्रवाई और संभावित जांच पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकती है.